HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 262/2026

Birbal Ram S/o Ugara Ram, Aged About 38 Years, R/o Liliya P.S. Merta City, District Nagaur.
(Presently Lodged In District Jail Pali)

----Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through PP
2. Viram Ram S/o Bhaga Ram, R/o Dhamali, Tehsil Marwar Junction, District Pali.

----Respondents

For Petitioner(s) : श्री प्रेमसुख चौधरी

For Respondent(s) : श्री नरेन्द्र गहलोत, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

23/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना मारवाड जंक्शन, जिला पाली** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 240/2024** अपराध अन्तर्गत **धारा 137(2), 64(1), 64(2)(एम) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/4(1), 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में झूंठा फंसाया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 13.08.2025 को गिरफ्तार किया गया है तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने नाबालिग पीडिता के साथ बलात्कार किया है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि विचारण के दौरान पीडिता को

गवाह पीडब्ल्यू 07 के रूप में परीक्षित किया जा चुका है जिसमें उसने प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ कोई बयान नहीं दिये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त व पीडिता का डीएनए भी करवाया गया था, लेकिन उक्त रिपोर्ट भी प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ नहीं रही है। मामले के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध किया गया तथा व्यक्त किया कि इस जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में परिवादी/पीडिता के पिता को सूचित कर दिया गया है, किंतु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है, उक्त रिपोर्ट को अभिलेख पर लिया जाता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ नाबालिग पीडिता के साथ बलात्कार किये जाने का आरोप है, किंतु पीडिता विचारण न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह पीडब्ल्यू 07 के रूप में परीक्षित करवायी गयी है जो कि पक्षद्रोही घोषित हो चुकी है, उसने कथन किये हैं कि बिरबलराम ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही बिरबलराम उसे कहीं लेकर गया था। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 13.08.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, विचारण में समय लगने की संभावना है। ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **बिरबलराम पुत्र उगराराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 240/2024 पुलिस थाना मारवाड जंक्शन जिला पाली में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपए मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **25,000–25,000/– (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपए मात्र)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

45-Dhanraj Jajoria /-